



धरना प्रदर्शन और सभा नहीं बनेगी बाधा

पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 06 जनवरी. पुलिस कमिश्नर ने राजधानी में जुलूस, धरना प्रदर्शन सहित रैली और सभा को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी निर्देश के अनुसार नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर, त्योहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किए जाने वाले धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला

दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव, ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं।
ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं, जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाता है, जिससे आम नागरिकों के सामान्य जन-जीवन पर कोई असर न हो व किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति न पहुंचाई जा सके।
आदेशानुसार ऐसे आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है, जिससे उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
पुलिस आयुक्त ने नगरीय पुलिस भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा - 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

टीटी नगर में युवक ने किया सुसाइड

भोपाल. टीटी नगर थाना इलाके में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार को मृतक के भाई ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मद्रासी कॉलोनी में रहने वाले रवि जाधव (37) ने देर रात को अपने कमरे में आत्महत्या कर ली।

रवि का छोटा भाई भी उसके साथ रहता है। सोमवार की रात में दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद दोनों सोने चले गए। सुबह जब रवि को फंदे पर झूलते उसके छोटे भाई ने देखा, तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रवि के बारे में पुलिस को मिली अवतक की जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले पांच दिनों से उसके पास कोई भी काम नहीं था। रवि घरों में पुनाई का काम करता था।



कलेक्टर ने किया स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण

भोपाल, 06 जनवरी. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को आनंद नगर हाई सेकेण्ड्री स्कूल एवं ट्रांसपोर्ट नगर के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने हाई सेकेण्ड्री स्कूल में जारी कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्रायोजित परीक्षाओं की व्यवस्थाओं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 492 में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम रविशंकर राय, सीडीपीओ महिला एवं बाल विकास सुब्र श्रीवास्तव सहित संबंधित विभाग के उपस्थित थे।

शिक्षक भर्ती को लेकर महाआंदोलन

1500 अभ्यर्थियों ने एक साथ की पद वृद्धि की मांग

नवभारत प्रतिनिधि
भोपाल, 6 जनवरी. प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग-2 और वर्ग-3 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी भोपाल में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेशभर से आए 1500 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर चिनार पार्क में एकत्र होकर पैदल मार्च निकाला और लोक शिक्षण संचालनालय व जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय का घेराव किया।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई विषयों में पद ही नहीं दिए गए, वहीं समान अंक लाने के बावजूद हजारों अभ्यर्थियों का

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें

- शिक्षक भर्ती वर्ग-2 एवं वर्ग-3 में घोषित पदों की संख्या में वृद्धि की जाए।
- जनजातीय कार्य विभाग में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग में शून्य पदों की विसंगति दूर की जाए।
- जिन विषयों में पद नहीं दिए गए हैं, उनमें भी नियुक्ति की जाए।
- समान अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को वेटिंग में न रखकर चयन का अवसर दिया जाए।

चयन न हुआ, जो कि उनके भविष्य के साथ अन्याय है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में लाखों पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं, लेकिन वर्तमान शिक्षक चयन परीक्षा में घोषित पद वास्तविक जरूरत के मुकाबले बेहद कम हैं। इसी नाराजगी को लेकर अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से तत्काल पद वृद्धि का आदेश जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि अब वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित आदेश चाहते हैं। यदि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती, तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल सकता है।

एक पात्रता से दूसरी पात्रता परीक्षा में करीब 4 साल का अंतर होता है। ऐसे में हम परीक्षा पास करके 95 परसेंटाइल भी ला रहे हैं तो भी हमें अवसर नहीं मिल रहा है। अगली परीक्षा के लिए तो हम उम्र बढ़ने से पात्र ही नहीं रह जाते।
नीलम रघुवंशी, रायसेन

कुल मिलाकर 400 पद थे, जिसमें 200 पद गेट फेकल्टी को दे दिए। केटगरी के अनुसार बटे पदों में ओबीसी को करीब 50 पद मिले। परीक्षा में 97 परसेंटाइल लाने के बावजूद मेरिट में नहीं आ पाये।
सौरभ सेन, सागर

हिंदी विषय में मेरा 99 परसेंटाइल है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, फिर भी मेरिट में नहीं आ पाया। योग्य शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। पदों की संख्या बढ़ाएं, तब ही शिक्षा में भी सुधार होगा।
देवांश रघुवंशी, उदयपुरा

मैं विवाहित हूँ, घर के कामों के साथ परीक्षा की तैयारी करके अच्छे नंबर लाए। मेरा संस्कृत विषय में 87 परसेंटाइल आया, सबको लगा इस बार मौका मिलेगा, लेकिन कम पदों के कारण निराशा हाथ लगी।
दिव्या सूर्यवंशी, शिवपुरी

बेकाबू कार ने सड़क पर मचाई दहशत

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 06 जनवरी. टीटी नगर इलाके में मंगलवार को एक बेकाबू कार ने सड़क पर दहशत का माहौल बना दिया। कार चालक की लापरवाही से सड़क पर चलने वाले लोग अपनी सतर्कता से बाल-बाल बचे। चालक जब कार के अंदर ही सवार था और कार एक पेड़ से टकरा कर रुक गई, तब लोगों ने चालक को बाहर निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया। कार चालक के मौके पर नशे में होने का जानकारी भी सामने आई है।
मिली जानकारी के मुताबिक टीटी नगर थाना इलाके में एक कार ने तीन से चार वाहनों को टक्कर मार



दी. तेज रफतार में चल रही कार जब इलाके में संचालित पेट्रोलपंप के सामने पहुंची, तब एक पेड़ से टकरा गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को

जुबैर मौलाना को कोर्ट ने दी सजा

भोपाल, 06 जनवरी. जिला कोर्ट ने कुख्यात अपराधी जुबैर मौलाना को सजा सुनाई है, उसके साथी शुभम राय को भी दोषी ठहराया गया। दोनों को तीन-तीन साल का कारावास हुआ, मामला वर्ष 2017 का है।
पीड़िता विवाह समारोहों में ड्रांसर का काम करती थीं। घटना के समय वह एक शादी में नृत्य कर रही थीं। आरोपियों ने युवती को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पीड़िता को बंधक बनाते हुए अभद्र व्यवहार किया गया। आरोपियों ने उसे जबरन नृत्य करने के लिए मजबूर किया। मामला आठ साल तक अदालत में चला। भोपाल कोर्ट ने सभी साक्ष्यों

पर विचार किया। न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने आरोपियों के खिलाफ फेसला सुनाया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ राजेश सिंह ने पैरवी की। कोर्ट के फैसले से पीड़िता को न्याय मिला।
रेलवे ट्रैक पर मिला क्षत-विक्षत शव: भोपाल. चेतक ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को क्षत-विक्षत अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। दोपहर बाद ट्रैक पर शव दिखने पर पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची एमपी नगर पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। बरामद शव को लेकर फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी। मर्ग कायम कर पुलिस घटना की जांच करने में जुटी है।

तलवारबाजी में फरार 3 बदमाशों का सरेंडर

भोपाल, 06 जनवरी. कोलार इलाके में बीते दिनों दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और तलवारबाजी की वारदात में फरार तीन बदमाशों ने मंगलवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले बदमाश कजलीखेड़ा पुलिस चौकी पहुंचे। सभी आरोपियों से थाने में ही पूछताछ की गई।
डीसीपी जोन-4 मयूर खंडेलवाल ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और थाना

प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने वारदात में फरार चल रहे तीन आरोपियों को पकड़ कर इलाके में जुलूस भी निकाला था। बीते शुक्रवार को हुई वारदात में दोनों पक्षों की तरफ से घातक हमला किया गया था। घटना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर एक पक्ष के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद से 6 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। कोलार पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की।

80 फीट रोड पर की थी तलवारबाजी
जानकारी के मुताबिक इलाके के 80 फीट रोड पर स्थित झुग्गी बस्ती में मारपीट और तलवारबाजी की घटना हुई थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपियों लक्ष्मण, अजय बैरागी, राहुल बैरागी, ऋषभ बैरागी और दीपक नाथ के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों अमन यादव, जीतू यादव, कृष्णा नागले, शुभम बांडा और राजेश राही भी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं।



वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित

भोपाल, 06 जनवरी. सीआईएसएफ इकाई भोपाल एयरपोर्ट द्वारा कमांडेंट अतुल भनोत्रा के निर्देशन में शीतकालीन मौसम को ध्यान में रखते हुए गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए दो दिवसीय शीतकालीन वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दो दिवसीय यह कार्यक्रम भोपाल एयरपोर्ट के

आसपास के क्षेत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें कंबल, शॉल, जूते एवं अन्य आवश्यक शीतकालीन सामग्री का वितरण किया। इस मानवीय पहल का उद्देश्य ठंड से राहत प्रदान करना था, जिसे लाभार्थियों ने सराहा और इसे स्थानीय समाज में सकारात्मक पहल के रूप में देखा गया।

एयरपोर्ट पर कोहरे में भी विमान की सफल लैंडिंग

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 06 जनवरी. राजा भोज विमानतल पर मंगलवार को प्रातःकाल घने कोहरे के कारण दृश्यता न्यूनतम 100 मीटर तक कम रही। स्थिति को देखते हुए विमानन सुरक्षा मानकों के अनुरूप सेफ गार्डिंग प्रक्रिया लागू की गई और एयरलाइनों द्वारा विमान परिचालन को भोपाल विमानतल की सीएटी-डूडू आईएलएस न्यूनतम आरबीआर 350 मीटर तक दृश्यता में सुधार होने तक स्थगित किया गया।
इस अवधि के दौरान



आईएमडी, एटीसी और संबंधित एयरलाइनों के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखा गया, जिससे सभी सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सका। खराब मौसम की पूर्वानुमानित स्थिति के कारण इंडिगो एयरलाइंस की एक पुणे-

भोपाल विमानतल पर सीएटी प्रणाली की उपलब्धता के कारण कम दृश्यता एवं मौसम संबंधी आपात स्थितियों में सुरक्षित संचालन संभव हो सका। सायं 18:00 बजे तक कुल 24 विमान म्यूटमैट्स के माध्यम से 3,402 यात्रियों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया गया। सभी उड़ान संचालन स्थापित प्रक्रियाओं एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुरक्षित रूप से किए जा रहे हैं।
आगरा में प्रतिकूल मौसम के कारण भोपाल विमानतल पर डायवर्ट किया गया।



दो शातिर नकबजन गिरफ्तार

4 लाख रुपए का मशरूका बरामद

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 06 जनवरी. कोलार थाना पुलिस ने चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास करीब 4 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया। सोशल मीडिया फ्लैट्टर के सूने घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात दोनों ने की थी।
थाना प्रभारी सजय सोनी ने बताया कि बीते 12 दिसंबर को फरियादी रुद्राक्ष श्रीवास्तव (25) ने मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि वह शिरडीपुरम मंदाकिनी निवासी है। फरियादी सोशल क्रिएटिविटी का काम करता है और 12 दिसंबर को दोपहर के समय जब वह बाहर से घूमकर निवास पर पहुंचा तो, मैन गेट का सेन्ट्रल लॉक की दीवाल उखड़ी थी।
गेट की प्लाई को तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर रखा एक लैपटॉप, 27 इंच मॉनीटर, दो महंगे कैमरे, 6 बैटरिया, घड़ी और 5 हजार रुपये नगदी चोरी कर ली। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।

योजना समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की अवधि 31 जनवरी 2026 तक बढ़ी

31 तक मिलेगा सौ फीसदी तक सरचार्ज में छूट का लाभ

लाखों बकायादार उपभोक्ता ले चुके हैं भाग
383 करोड़ 96 लाख की मूल राशि जमा
भोपाल, 06 जनवरी. मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की अवधि 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उनके उसाह को देखते हुए योजना के प्रथम चरण की अवधि में विस्तार



किया गया है। पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने सौ फीसदी तक छूट का लाभ लिया। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 100 फीसदी तक

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 383 करोड़ 96 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 210 करोड़ 89 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं, जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा क्रिस्टों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।

सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण में अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 3 लाख 39 हजार 637 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन करारक लाभ लिया है।